


1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है दीपक शर्मा लिपिकवर्गीय
2. पिता/प्रति का नाम श्री अनिल शर्मा 3. वर्तमान धारित पद न्यायालय डा.डी.ओ
4. वर्तमान वेतन 13030+6P-3260 अगली वेतनवृद्धि 01-07-2015
6. वर्तमान पद का कुल वेतन 34408

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधि-वित्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लाट एवं कृषि भूमि)					
1	02	03	04	05	06	07	08
सुदामा नगर इंडोर (च.प.)	गृह	-	6000000	श्रीमती सुधा शर्मा प्रति श्री अनिल शर्मा, शासकीय कि माताजी है	शिक्षक संस्थान समीति सुदामानगर इंडोर सा.क.प.	निरंक	निरंक

जहां लागू न हो काट दीजिये।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

ध्यान :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।


 हस्ताक्षर

नाम दीपक शर्मा
 पद न्यायालय डा.डी.ओ